पारिभाषिक शब्दावली की प्रासंगिकता

✧ प्रो. गौरी सोलंकी

''पारिभाषिक शब्द उनको कहते है, जिसकी परिभाषा की गई। पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमा बाँध दी गई हो। जिन शब्दों की सीमा बॉध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते है और जिनकी सीमा नही बाँधी जाती वे साधारण शब्द होते है।''

पारिभाषिक शब्दावली की महता तथा भूमिका अति महत्वपूर्ण है। पारिभाषिक शब्दावली किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पारिभाषिक शब्दावली से ही भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान, दर्शनशास्त्र, राजनीति, समाज विज्ञान, मानवशास्त्र, जैवतकनीक, अन्तरिक विज्ञान, सूचना एवं संचार आदि जैसे ज्ञान के क्षैत्र में पारिभाषिक शब्दावली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते है जिसकी एक निश्चित परिभाषा हो तथा उनके एक से अनेक अर्थ न हो। पारिभाषिक शब्द सरल, सुबोध, स्पष्ट होते है। जैसे संचार के क्षैत्र में सरल स्पष्ट शब्दो के प्रयोग से ही भाषा का संचार हुआ है अगर सरल, स्पष्ट शब्द का विकास नही होता तो इतना विकास सम्भव नही था। पारिभाषिक शब्द का विकास ही जनसंचार के लिए महत्वपूर्ण रखता है। अर्थात पारिभाषिक शब्द का क्षैत्र विशेष में निश्चित सीमा बॉध दी गई हो तथा उस क्षेत्र में उसी भाषा का प्रयोग किया गया हो वही पारिभाषिक शब्द कहलाते है। पारिभाषिक शब्दो का अपना विशिष्ट अर्थ होता है। जिससे उसे शब्द में परिवर्तन नही किया जा सकता है।

पारिभाषिक शब्द की भाषा सुगठित तथा व्यवस्थित होती है । शब्दो के सार्थक प्रयोग से ही विषय वस्तु तथा भाषा की अभिव्यक्ति होती है। शब्दो का सम्बन्ध जीवन और जगत के प्रतिदिन के व्यवहार तथा बोलचाल से है। अर्थात ऐसे शब्दो का प्रयोग प्रतिदिन होता है। ऐसे सामान्य शब्दो के व्यवहार से ही व्यक्ति भाषा सीखता है और भाषा का प्रयोग करता है। बच्चा भी जब मातृ भाषा सीखता है तब सर्व प्रथम सामान्य शब्दो का ही प्रयोग करता है। जैसे– खाना, पीना चलना, चाचा मॉ पिता, आना जाना, गरम रोटी, पानी आदि सामान्य श्रेणी में आयेंगे। बोलचाल, वार्तालाप एवं संवाद आदि में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सरलता, भावुकता तथा स्पष्टता आदि गुण सामान्य शब्दो के प्रयोग में देखे जा सकते है। सामान्य शब्द पारिभाषिक शब्दो के रूप में कभी प्रयोग में नही आते है। कुछ ऐसे शब्द भी होते है जिनका प्रयोग स्थिति, विषय वस्तु तथा संदर्भ के अनुसार कभी तो सामान्य शब्दो के रूप मे होते है और कभी पारिभाषिक शब्दो के रूप में प्रयोग किये जाते है कुछ ऐसे शब्द भी होते है जो अर्ध–पारिभाषिक होते है ऐसे शब्दो का प्रयोग विशिष्ट नही होता न ही विकास का कार्य कर सकते है ऐसे शब्दो को समझने में भी कठिनाई होती है। भाषा संचार इन शब्दो के द्वारा सम्भव नही है जैसे–विपदा, सृजन, माया आदि अर्थात पारिभाषिक शब्द के आधार पर ही भाषा की अभिव्यक्ति सम्भव है। और जन संचार का विकास हो सकता है। कठिन, अस्पष्ट शब्दों के प्रयोग से भाषा का संचार सम्भव नही है। पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग जटिल विचारों को सुचारू बनाते है। जटिल शब्दो के प्रयोग को स्पष्ट कर अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते है। पारिभाषिक शब्दो के अन्तर्गत मानविकी विज्ञान प्रौद्योगिकी कार्यालयी, प्रशासन, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर तथा दूर संचार आदि क्षैत्र आते है। दूरसंचार में कठिन शब्दों का प्रयोग सम्भव नही है अगर सम्भव है तो भाषा का विकास सम्भव नही है। पारिभाषिक शब्दों से ही भाषा का संचार तथा विकास हुआ है। जैस :–

''जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त न होकर ज्ञान–विज्ञान के विभिन्न क्षैत्रों में विषय एवं संदर्भ के अनुसार विशिष्ट किन्तु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते है, उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं।''

इसका तात्पर्य यह है कि एक प्रमुख अर्थ को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द होना चाहिए। पारिभाषिक शब्द के पर्यायवाची शब्द नही होते है। जैसे ''पानी के स्थान पर नीर'' ''जल'' आदि का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन अधिकारी के स्थान पर प्राधिकारी'' का प्रयोग नही किया जा सकता।

पारिभाषिक शब्द अपने आप में पूर्ण होता है वह अस्पष्ट तथा असंगतिठत शब्द नही होता है जो शब्द अर्थ पारिभाषिक होते है वहॉ शब्दों में कठिनाई होती है। ऐसे समय भाषा का संचार सम्भव नही जैसे – कम्प्यूटर, प्रौद्योगिकी, मानविकी, दूर संचार आदि का तैयार सम्भव नही है।

संस्कृति सभ्यता आदि का विकास पारिभाषिक शब्दों से ही सम्भव है। पारिभाषिक शब्द जैसे संस्कृति के अनुरूप नही होती तो जनसंचार (भाषा संचार) में कठिनाईयो का सामना करना पडता जिससे संस्कृति तथा सम्भव का विकास सम्भव नही है, पारिवारिक शब्दो में स्वतन्त्रता, स्पष्टता, होना चाहिए सुबोध शब्दो के प्रयोग से विकास सम्भव हुआ है। पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग लघु होता है जिससे संस्कृति का विकास सम्भव हुआ है।

प्राचीन काल में अलग–अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है इसीलिए विकास सम्भव नही था किन्तु आज सरल से सरल विकास सम्भव नही था किन्तु आज सरल से सरल शब्दों का प्रयोग होता है जिसे पारिभाषिक शब्द कहते है। प्राचीन काल में संस्कृत का प्रयोग अधिक हुआ करता था और संस्कृत हर क्षैत्र में प्रचलित नही थी जिससे भाषा का विकास सम्भव नही था। धीरे–धीरे संस्कृत के शब्दो का प्रयोग कम हुआ और हिन्दी भाषी की संख्या बढने लगी। संस्कृत में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते है जिसे समझना बहुत कठिन है क्योंकि प्राचीन काल में संस्कृत का अलग

क्षेत्र था तथा हिन्दी का अलग क्षैत्र था। एक भाषा को जानने वाला दूसरे राज्य में अगर जाते है तो उन्हे उस भाषा को बोलने तथा समझने में कठिनाइयो का सामना करना पडता था। इसीलिए पारिभाषिक शब्दो के निर्माण में कुछ विद्वानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्राचीन काल में अंग्रेजो का शासन चलता था और अंग्रेज अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते थे किन्तु यहां की जनता हिन्दी का प्रयोग करती थी और आज भी अंग्रेजी को प्रथम भाषा मानी जाती है किन्तु अंग्रेजी में एक शब्द के पचास शब्द बन सकते है जिसे समझने में महिनो लग सकते है और वो सम्भव नही है क्योकि भारतीय जनता सरल, सुबोध तथा स्वतंत्र भाषा को आसानी से सीख सकती है। जैसे अंग्रेजी के शब्दो में ष्जीमतउष् से पचास शब्दो का निर्माण हो सकता है ऐसे शब्दों को पारिभाषिक शब्दो के रूप में नही अपना सकते है। जैसे ष्जीमतउष् के लिए संस्कृत में ''ताप'' शब्द का ग्रहण को अपनाया जाये तो ''ताप'' से अनेक शब्दों का निर्माण किया जा सकता है जैसे— तापीय तापायन, तापीय शक्ति, तापयी धारणा तथा तापीय कठिबंध आदि अनेक शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे में पारिभाषिक शब्दो के निर्माण में सम्भावना नही होती । इन प्रयोगो से हिन्दी भाषा का विकास सम्भव नही था इसीलिए पारिभाषिक शब्दो का निर्माण सम्भव हुआ तथा लघु शब्दों के प्रयोग से भाषा में सरलता का विकास हुआ और आज भारतीयता की राष्ट्र भाषा हिन्दी है। जिसे गर्व के साथ बोली जाती तथा लिखी जाती है। पारिभाषिक शब्दो के विकास के साथ भारतीय जनता जो अधिकांश जनता ग्रामीण है जो समझने लगी है हिन्दी का प्रयोग हर सम्भव विकास का कार्य करती है। अगर आज भी संस्कृत तथा अंग्रेजी जैसे कठिन भाषा का प्रयोग किया जाता तो हिन्दी भाषा का विकास अधुरा रहना सम्भव था। परन्तु कुछ विद्वानों द्वारा पारिभाषिक शब्दो के निर्माण कार्य में सिफारिश की गई थी जिससे यह सम्भव हुआ। जैसे—

भारत सरकार में 1940 में अवतार हैदर की अध्यक्षता में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने यह सुझाव दिया था कि विदेशो में हो रहे वैज्ञानिक विकास की बराबरी के लिए हमें अन्तर राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। 1948 में मौलाना आजाद ने भी यही सुझाव दिया था। इनके सुझावो के कारण ही 1949 के विश्वविद्यालय आयोग ने अन्तरराष्ट्रीय शब्दावली को स्वीकार किया था।

कुछ विद्वानों के अनुसार हिन्दी भाषा की प्रकृति तथा प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए संस्कृत, प्राकृत आधुनिक भाषाएँ, अंग्रेजी तथा अंतरराष्ट्रीय प्रयोग आदि के शब्दों को आवश्यकतानुसार ग्रहण करना चाहिए और इनकी मदद से नवीन शब्दों का निर्माण भी किया जाना चाहिए। सभी भाषाओं से अच्छे शब्द को ले लेना चाहिए तथा उनके कठिन शब्द को सरलीकरण कर ग्रहण कर लेना चाहिए। भारत सरकार द्वारा भी इसी प्रकार की शब्दावली का निर्माण करने का सुझाव दिया गया। तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने भी इसी प्रकार की विचारधारा को अपनाने की कोशिश की है जैसे—मोहर, बम, रेडियों, मशीन, टेबल आदि अनेक शब्द इसी श्रेणी में आते है।

हिन्दी भाषा की पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का कार्य भारत सरकार द्वारा 1950 में प्रारंभ किया गया भारत सरकार ने 1950 में वैज्ञानिक शब्दावली के एक बोर्ड की गठन किया और जब 1960 में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना हुई तो उसने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया। 1961 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का उत्तर दायित्व आयोग को सौंप दिया गया।

डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ''विश्वविद्यालय आयोग'' जो 1948 में स्थापित हुआ था। तकनीकी शब्दावली के अनेक समस्याओं उत्पन्न हुई थी उस पर विचार विमर्श किया गया।

तात्पर्य यह है कि पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण से ही हिन्दी भाषा का संचार सम्भव है। हर क्षैत्र में सरल सुबोध भाषा को लिखी और बोली जाती है। पारिभाषिक शब्दावली से हर सम्भव भाषा का विकास सम्भव है।

lUnHkZ lwph&

1. व्यावहारिक एवं कार्यालयीन हिन्दी
2. नई दुनिया
3. रोजगार निर्माण
4. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वर्ष 1940 पृष्ठ—75
5. अवतार हैदर वर्ष — 1948 — पृष्ठ—75
6. डॉ. राधा कृष्णन वर्ष — 1948 — पृष्ठ — 76